न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री बिजेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.

| नम्बर मुकदमा | किस्म मुकदमा | ता0 दायरा | निर्णय तिथि |
|---|---|---|---|
| 115/2020व38/2021 | दावा 53, 88 RTA | 29.09.2020 | 25.09.2024 |

1. मोहम्मद युसूफ पुत्र यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 09 चूरू तहसील व जिला चूरू राज.

—वादीगण—

बनाम

1. उस्मानगनी खोखर पुत्र उम्मेदखान जाति कायमखानी निवासी सवलपुरा तहसील व जिला सीकर राज.
2. जाफर पुत्र यासीन जाति तेली निवासीनी वार्ड नं. 09 चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
3. जीवणी पत्नी यासीन जाति तेली निवासीनी वार्ड नं. 09 चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
4. नसीन पुत्री यासीन जाति तेली निवासीनी वार्ड नं. 09 चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
5. पतासी पत्नी वाहिद खां जाति कायमखानी निवासीनी वार्ड नं. 08 पुराना चुरू तहसील व जिला चूरू राज.
6. मोहम्मद अयुब खां पुत्र हबीब जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 09 चूरू तहसील व जिला चूरू राजस्थान
7. राजू पुत्र यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 09 चूरू तहसील व जिला चूरू राजस्थान
8. शशीकान्त पुत्र विजय कुमार जाति ब्राह्मण निवासी एस.बी.आई. बैंक के पीछे लाल घण्टाघर के पास चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू
10. सब रजिस्टार चूरू
11. सवीरा पत्नी आमीन जाति गुर्जर मुसलमान निवासीनी चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
12. रोशन खान पुत्र अलादीन जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू राज.

— प्रतिवादी—

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए.

निर्णय

पत्रावली पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 6 ने उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की शेष पक्षकारान अनुपस्थित रहे। तहसीलदार चूरू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार

1. विभाजन प्रस्ताव तैयारी पूर्व पक्षकारान को नोटिस दिये जाकर उपस्थित खातेदारन मौतबिरान एवं पड़ौसीगण की प्रारम्भिक ... के अनुसार विभाजन प्रस्ताव माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना में जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है।
2. ख. नं. 234 का उतरी हिस्से के तरफ की काबिज भूमि पर खातेदार ... अयुब खां पुत्र बहीब खां जाति कायम नि. चूरू तारपट्टी ... के फसल खरीफ बो ... खातेदार ने अपने हिस्से की काबिज काश्त भूमि में लोहे का गेट लगा रखा है, जिसपर खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:18:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

44

उपखण्ड अधि...
चूरू

मो. अयुब खां का नाम दर्ज है। काबिज खातेदार अयुब खां ने अपने काबिज काश्त भूमि पर एक पक्का मकान भी बना रखा है।

3. ख. नं. 234 तादादी 7.3425 में खातेदार मो. अयुब खां पुत्र हबीब खां खसरे की उतरी हिस्से पर काबिज हो काश्त करता आ रहा है। खसरे की शेष भूमि या खसरे की दक्षिण तरफ की शेष भूमि पर प्लॉटिंग भी हुई है। जिस पर डबोरे डालकर सड़क बनाई हुई है। पटवारी हल को ख. नं. 234 के दक्षिण पासे की प्लॉटिंग की गई भूमि 2. 2843 हैक्टेयर पर अकृषि कार्य किये जाने पर कार्यवाही किये जाने पर निर्देशित किया गया है।

उक्त विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से प्रतीत होता है प्रतिवादी संख्या 06 की कृषि भूमि छोड़कर शेष भूमि पर प्लॉटिंग की गई है तथा प्रतिवादी संख्या 06 की ओर से अपनी कृषि भूमि पर तारबंदी की जाकर कृषि कार्य किया जा रहा है तथा रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार शेष पक्षकारान द्वारा अपनी भूमि पर बिना संपरिवर्तन करवाये अकृषि कार्य किया जाना स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है जिसके प्रतिउतर में शेष पक्षकारान की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन करवाये अकृषि भूमि में उपयोग से राज्य सरकार को राजस्व हानी होना प्रत्यक्ष है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार चूरू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव व संलग्न नक्शा के अनुसार दावा अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है एवं तहीलदार चूरू को अन्तिम डिक्री व संलग्न नक्शा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं शेष कृषि भूमि जिस पर बिना उद्येश्य परिवर्तन करवाये अकृषि कार्य किया जा रहा है पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय दिनांक आज दिनांक 25.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू
**उपखण्ड अधिकारी**
**चूरू**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:18:34 IST
Reason: SelfAttested

# अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
## (आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")

## अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

**इजलास : श्री बिजेन्द्रसिंह आर0ए0एस0**

मोहम्मद युसुफ पुत्र यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10 चूरू तहसील व जिला चूरू राजस्थान —वादी—

बनाम्

1. उस्मानगनी खोखर पुत्र उम्मेदखान जाति कायमखानी निवासी सबलपुरा तहसील व जिला सीकर (राजस्थान)
2. जाफर पुत्र यासीन जाति तेली निवासीनी वार्ड नं. 09 चूरू तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)
3. जीवणी पत्नी यासीन जाति तेली निवासीनी वार्ड नं. 09 चूरू तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)
4. नसीम पुत्री यासीन जाति तेली निवासीनी यार्ड न. 09 चूरू तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)
5. पतासी पत्नी वाहिद खां जाति कायमखानी निवासीनी वार्ड नं. 08 (पुराना) चूरू तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)
6. अयुव खां पुत्र हवीव खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 09 (पुराना) चूरू तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)
7. राजू पुत्र यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 09 चूरू तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)
8. शशीकान्त पुत्र विजय कुमार जाति ब्राह्मण निवासी एस बी आई बैंक के पीछे लाल घण्टाघर के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहव चूरू
10. सब रजिस्ट्रार चुरू
11. सबीरा पत्नी आमीन जाति गुर्जर मुसलमान निवासीनी चूरू तहसील व जिला चूरू
12. रोशन खान पुत्र अलादीन जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू

प्रतिवादीगण

**दावा बाबत विभाजन अन्तर्गत धारा 53, 88 आर0 टी0 एक्ट**

**मुकदमा नं. 115 सन् 2020 व 38 सन् 2021**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री अयुब खान मिनजानिब मुदईब हुक्म दिया जाता है वा डिक्री दी जाती है कि :–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * चूरू (राज.) *

तहसीलदार, चूरू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादी संख्या 6 की सहमति के आधार पर की सहमति [illegible] प्रतिवादी संख्या 6 स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है [illegible] भूमि ख.नं. 234 रोही कस्बा चूरू का खाता विभाजन निम्नानुसार [illegible] कायम करने का आदेश दिया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:18:34 IST
Reason: SelfAttested

| क.सं. | नाम खातेदारान मय विवरण | ख.नं. | रकबा है. | किस्म |
|---|---|---|---|---|

46
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मो. अयुबखां पुत्र हबीब खां जाति कायमखानी नि. चूरू खातेदार | 234 मि. | 4.5632 | बारानी |
| | | किता–1 | 4.5632 | बारानी |
| 2. | उस्मानगनी खोखर पुत्र उम्मेदखां हिस्सा 3667/27843 जाति कायमखानी निवासी चूरू, खातेदार केशरीसिंह पुत्र उगमसिंह हिस्सा 2238/27843 जाति राजपूत नि. चूरू, घनश्यामसिंह पुत्र उगमसिंह हिस्सा 4476/27843 जाति राजपूत नि. चूरू, नसीम पुत्री यासीन हिस्सा 2238/27843 जाति तेली नि. चूरू, पतासी बानो पत्नी वाहीद खां हिस्सा 3667/27843 जाति कायमखानी नि. चूरू, रोशनखां पुत्र अलादीन खां हिस्सा 2238/27843 जाति कायम खानि नि. चूरू, शशिकांत पुत्र विजय कुमार हिस्सा 7081/27843 जाति ब्राह्मण नि. चूरू, साबिरा पत्नी आमीन हिस्सा 2238/27843 जाति मुसलमान गुर्जर नि. चूरू खातेदार | 234 मि. | 2.7843 | बारानी |
| | | किता–1 | 2.7843 | बारानी |

जिन खातेदारों का हिस्सा बैंकों के रहन दर्ज है, वह यथावत् रहन रहेगा। तहसीलदार, चूरू को उपरोक्तानुसार एवं विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.09.2024 के संलग्न नक्शानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 25 माह सितम्बर सन् 2024 को जारी की गई।

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:18:34 IST
Reason: SelfAttested